

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर - 302005

क्रमांक : एफ (1)/1(211) आ.उ./पीएडी अनु./मृ.आ.नि./2020

दिनांक : 24-07-2020

:: आदेश ::

सुश्री प्रियंका आश्रित पुत्री शहीद श्री राजेश कुमार की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ 5(3) डीओपी/ए-11/94 दिनांक 10.06.2008 राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम-2008 का प्रयोग करते हुए जिला उद्योग केन्द्र, झुन्झुनू में की जाती है।

सुश्री प्रियंका शहीद सैनिक श्री राजेश कुमार की पुत्री है। श्री राजेश कुमार 2887073N, 21 RAJRIF में कार्यरत थे, जो दिनांक 26.05.1997 को भारतीय सेना की सेवा में रहते हुए शहीद हो गये थे। सुश्री प्रियंका उन पर पूर्णतः आश्रित थी। सुश्री प्रियंका की नियुक्ति की अभिशंषा जिला कलक्टर, झुन्झुनू ने उनके पत्र क्रमांक एफ.1(4)()अ.नि./स्था./2019/367 दिनांक 17.03.2020 द्वारा की गई है एवं सुश्री प्रियंका कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ 5(3) डीओपी/ए-11/94 दिनांक 10.06.2008 राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम-2008 के तहत नियुक्ति हेतु पात्र मानी गई है।

सुश्री प्रियंका को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थाई आधार पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक 14600/-रुपये प्रतिमाह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे। तत्पश्चात् परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के पे-मेट्रिक्स लेवल-5 के अनुसार कनिष्ठ सहायक का प्रारम्भिक वेतन तथा नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

सुश्री प्रियंका की जन्मतिथि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (सत्र 2011-13) की ग्रेड शीट सह निष्पादन प्रमाण पत्र सं 0125941 के आधार पर 02.01.1997 है तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक (B.Sc) है। सुश्री प्रियंका प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार 3/171, हाउसिंग बोर्ड, झुन्झुनू, राजस्थान की मूल निवासी है एवं राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की सदस्य है।

नियुक्ति की शर्त :-

1. यह नियुक्ति अस्थाई है। अभ्यर्थी राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानानुसार 2 वर्ष तक परिवीक्षाधीन अवधि में रहेगी। परिवीक्षा अवधि में कोई वार्षिक वेतनवृद्धियां देय नहीं होगी।
2. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.07.2010 के अनुसार सुश्री प्रियंका ने कम्प्यूटर योग्यता (RS-CIT) अर्जित कर रखी है किन्तु कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.17 के अनुसार इन्हें नियमानुसार कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा 3 वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने तक कोई वार्षिक वेतनवृद्धियां देय नहीं होगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. नियुक्ति आदेश जारी होने से 4 सप्ताह तक की अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
5. राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) राज., जयपुर की अधिसूचना दि. 27.2.2001 के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005

- उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(1)वित्त/नियम/2013 दि.28.01.2004,27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

(अर्चना सिंह)
आयुक्त, उद्योग

क्रमांक : एफ (1)/1(211) आ.उ./पीएडी अनु./मृ.आ.नि./2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 24-07-2020

- जिला कलक्टर, झुन्झुनू।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, झुन्झुनू को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर लेख है कि सुश्री प्रियंका के मूल चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न प्रेषित है। शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी तथा अन्य दस्तावेजों का मूल से मिलान कर एक-एक सत्यापित प्रति प्राप्त कर उसकी पुष्टि करेंगे व कार्मिक के कार्यग्रहण की सूचना नियुक्ति शाखा, मुख्यालय को तत्काल प्रेषित करेंगे।
- उप निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर अनुभाग), मुख्यालय, जयपुर।
- सुश्री प्रियंका पुत्री शहीद श्री राजेश कुमार, निवासी-3/171, हाउसिंग बोर्ड, झुन्झुनू राजस्थान-333001 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित है।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)